पटपड़ गंज डिपो मैनेजर द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के निलम्बित किए गए संवाहक/चालक

1838. श्री सुनील कुमार पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के पटपड़ गंज डिपो के रीजनल मैनेजर ने कुछ चालकों और संवाहकों को निलम्बित और बर्खास्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चालकों और कंडक्टरों की क्रमश: कुल संख्या कितनी है और उनके नाम और बिल्ला संख्या क्या-क्या हैं;

(ग) निलम्बित/बर्खास्त किए गए संवाहकों/चालकों के कितने मामले इस समय लम्बित हैं अथवा विचाराधीन हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटा दिए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्रचालन) पूर्वी क्षेत्र जिनका कार्यालय पटपड़ गंज डिपो में है, 6 डिपुओं की देखरेख करते हैं जिनमें कुल मिलाकर 2257 ड्राइवर और 2582 कंडक्टर हैं । उन्होंने स्थायी आदेशों की तथाकथित अवमानना और अपने कार्य के निर्वहन में भूलचूक की अन्य घटनाओं के बारे में जांच होने तक जनवरी, 1987 से 99 कंडक्टरों और 47 ड्राइवरों को निलंबित किया है । तथापि, उन्होंने किसी कंडक्टर/ड्राइवर को बर्खास्त नहीं किया है । इन निलंबित कंडक्टरों/ड्राइवरों की एक सूची संलग्न है [देखिए परिशिष्ट XCLIV, अनपत्र सं० 75] । इन 146 कर्मचारियों में से 22 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाईयां पूरी हो गई हैं और शेष 124 मामलों में ये कार्रवाईयां शीघ्र पूरी हो जाने की संभावना है ।

कालकाजी के डिपो मैनेजर द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के कार्मिकों को परेशान किया जाना

1839. श्री सुनील कुमार पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों से उच्च अधिकारियों को दिल्ली परिवहन निगम के कालकाजी डिपो के डिपो मैनेजर द्वारा कार्मिकों को परेशान किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सभी शिकायतों को निचले स्तर पर दबाया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उक्त डिपो मैनेजर का तत्काल स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस मामले की जांच करवाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) कालकाजी डिपो के डिपो प्रबन्धक के विरुद्ध कुल मिलाकर अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग करने और दूसरी अवांछनीय प्रथाओं के आरोप संबंधी 7 शिकायतें प्राप्त हुई थी । शिकायतों की जांच कराई गई थी । तथापि, छानबीन के बाद दिल्ली परिवहन निगम को इस अधिकारी के विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं मिले ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं होता ।